

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 55/2025

दायर दिनांक 05.02.2025

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. खेताराम पुत्र श्री भंवरलाल
उम्र 65 साल जाति माली
निवासी सिंघीबास, डीडवाना
तहसील डीडवाना जिला
डीडवाना-कुचामन राज0।

1. नाथूराम पुत्र स्व0 श्रवणलाल
2. अशोक कुमार स्व0 श्रवणलाल
3. जुगल पुत्र स्व0 श्रवणलाल
4. सरोज पुत्री स्व0 श्रवणलाल
5. हीरा देवी पत्नी स्व0 श्रवणलाल
6. जीवण राम पुत्र स्व0 सोहनलाल
7. मनोज कुमार टाक पुत्र स्व0 सोहनलाल
8. गीता देवी पुत्री स्व0 सोहनलाल
9. कौशल्या देवी पत्नी स्व0 सोहनलाल
10. नन्द किशोर पुत्र स्व0 भंवरलाल
11. बालुडी पुत्री स्व0 भंवरलाल
12. मंजु देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल
13. लिछमा देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल
14. छोटी देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल
15. कमला देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल
समस्त जाति माली निवासी सिंघीबास,
डीडवाना तहसील डीडवाना जिल
डीडवाना-कुचामन।
16. तहसीलदार महोदय, डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरस्ती, घोषणा खातेदारी, व बंटवारा

अन्तर्गत धारा- 88, 53 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री निर्मल टाक वकील वादीगण।
2. श्री विकास सैनी प्रतिवादी संख्या 1 ता 9, 11 ता 15.

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 30.06.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम देवराठी पटवारा क्षेत्र सूपका के खसरा संख्या 398 रकबा 5.7500 है। भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 03.04.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: रीडर/2025/276 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक:

Wkew

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



रीडर/2025/276 दिनांक 04.06.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

राजस्व ग्राम देवराठी पटवार क्षेत्र सूपका के खसरा संख्या 398 रकबा 5.7500 है. भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: रीडर/2025/276 दिनांक 04.06.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: रीडर/2025/276 दिनांक 04.06.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
उपसुपड अधिकारी
डीडवाना